29.01.2025

पत्रावली पेश। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड रसीदें तथा कि ट्रैकिंग डिलीवरी स्लीप पूर्व से पेश, अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पांचला, पटवार हल्का पांचला में प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 658 रकबा 1.39 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थी का 743/13900 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा मौके पर कुल प्रार्थी का अपने बंट व हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास है तथा मौके पर प्रार्थी का रहवासीय मकान बना हुआ है प्रार्थी ने अपने बंट की भूमि को अपनी मेहनत व लगन से खाद वगैरह डालकर उपजाऊ व उपयोगी बनाया है प्रार्थी ने कब्जा काश्त व बंट अनुसार खातेदारी के बंटवारा करने हेतु अप्रार्थीगण से निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने [illegible] के बंटवारा करने से

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:15:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

करने से इनकार कर दिया तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसके हिस्से खाते की आराजी से प्रथक अंकन करने तथा प्रार्थी के बंट व हिस्से की कृषि का बिना विधिवत खाता विभाजन करवाये किसी व्यक्ति को बेचान करने की प्रबल सम्भावना है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाशुदा भूमि से बिना किसी विधिवत प्रक्रिया के जोर जबरदस्ती से विधिविरुद्ध रूप से बेदखल करने में सफल हो गए तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई पैसों से किया जाना कतई सम्भव नहीं होगा। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें।

मैंने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की है जिसका विधिवत विभाजन होना शेष है, यदि अप्रार्थीगण द्वारा बिना विभाजन करवाये वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण किया जाता है तो प्रार्थी को क्षति होने की सम्भावना है। संयुक्त आराजी में प्रत्येक खातेदार का कण-कण हिस्से पर अधिकार होता है। अतः मामला प्रथम दृष्टया तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है तथा मौजा पांचला के खेत खसरा संख्या 658 रकबा 1.39 हेक्टर आराजी पर अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति [illegible] रखें/रखें आदेश की अंतरिम [illegible] अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है। [illegible] नियमानुसार होकर गवाह दि. आज की जारी [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:15:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner